संख्या–1759 / 49–3–2012–100(1) / 2000

प्रेषक,

इन्द्रदेव पटेल,
उप सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियॉ,उ0प्र0,
लखनऊ

सहकारिता अनुभाग–3

लखनऊः दिनांक 23 अगस्त, 2012

विषय : वर्ष 2012–13 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को ऋण पर ब्याज की अदायगी की स्वीकृति के सम्बंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–446 / लेखा–अ / एनसीडीसी, दिनांक 18जुलाई, 2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं हेतु दिये गये ऋणों पर अवशेष ब्याज रूपये 54,65,952 / –(रूपये चौवन लाख पैसठ हजार नौ सौ बावन मात्र) की धनराशि का भुगतान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को करने की स्वीकृति राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं।

2– उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–18 कृषि तथा सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत निम्न लेखा शीर्षक के नामे डाला जायेगा :–

लेखाशीर्षक	धनराशि (रूपये में)
ब्याज	
2049– ब्याज अदायगियॉ–आयोजनेत्तर	
01– आन्तरिक ऋण पर ब्याज	
200– अन्य आन्तरिक ऋणों पर ब्याज	
03– राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से प्राप्त ऋणों पर ब्याज	
32– ब्याज / लाभांश	
मतदेय	–––––
भारित	रू0 54,65,952.00

(रूपये चौवन लाख पैसठ हजार नौ सौ बावन मात्र)

3– उपर्युक्त धनराशि के आहरण एवं वितरण हेतु आपको प्राधिकृत किया जाता है। उपर्युक्त धनराशि का आहरण कर उसका भुगतान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट, जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से नई दिल्ली में देय हो, बनवाकर तत्काल **वित्तीय सलाहकार, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, 4 सीरी इन्स्टीट्यूशनल एरिया, हौज खास, नई दिल्ली–110016** को प्राप्त कराया जाना सुनिश्चित करें तथा प्राप्ति रसीद की एक प्रति शासन को भी उपलब्ध कराने

52 ... 24/8/2012

.....2 / –

का कष्ट करें। साथ ही विगत में प्राप्त तथा भविष्य में भी एन0सी0डी0सी0, नई दिल्ली से प्राप्त होने वाली समस्त धनराशि के लेखा-जोखा के रख-रखाव का दायित्व निबन्धक, सहकारी समितियॉ, उ0प्र0 के स्तर से रखा जाना सुनिश्चित किया जाये।

4- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-यू0ओ0-बी-218/दस-2012, दिनांक 21 अगस्त, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(इन्द्रदेव पटेल)
उप सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-1759(1)/49-3-2012, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- उप महालेखाकार (राजकोष एवं वी0एल0सी0), कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी,)-प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- उप महालेखाकार (राजकोष), कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी,) -द्वितीय उ0प्र0,इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन,लखनऊ।
4- सहायक निदेशक (लेखा) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, 4,सीरी, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, हौज खास, नई दिल्ली।
5- मुख्य निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, लखनऊ।
6- वेब मास्टर, कार्यालय निबंधक, सहकारी समितियॉ उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-3/वित्त(व्यय नियंत्रण)अनुभाग-2
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
इन्द्रदेव पटेल..

(इन्द्रदेव पटेल)
उप सचिव।